

12/8/24

प्रार्थना एवं वकील प्रार्थना का
नहीं। बार-बार आवाज लिए गये
किन्तु कोई उपस्थित नहीं आया।
मूल दावा प्रथम दायरी एवं आमत
पेची में खारिज हो चुका है ऐसी
स्थिति में प्रार्थना पर सार्वजनिक होने
के कारण खारिज किया जाता है पूर्व
में जारी 77 व्यक्ति की मांगी है प्रानली
दाखिल दफ्तार हो



उपखण्ड अधिकारी
— (टी.टी.)